



सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार
सेक्टर-72, सा.अ.सि.नगर, 160071, (पंजाब)
फोन:+91-172-2296107/2296000, फैक्स:+91-172-2236401

पेंशन अदालत-2019

सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के अधीन
एससीएल के पेंशन धारक/ पारिवारिक पेंशन धारकों
के ध्यानार्थ।

4.9-2019 (बुधवार) को 11.00 बजे एससीएल, सैक्टर - 72, सा.अ.सि. नगर में एससीएल पेंशन धारकों और पारिवारिक पेंशन धारकों की शिकायतों के विचाराधीन पेंशन अदालत-2019 लगाई जाएगी। अदालत में पेंशन धारकों के लाभ संबंधी शिकायतों पर विचार किया जाएगा। जो शिकायतें पहले ही हल कर ली गई हैं/ हल निकाला जा चुका है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

एससीएल पेंशन धारकों और पारिवारिक पेंशन धारकों की यदि कोई शिकायत हो तो वे निर्धारित प्रपत्र में भेज सकते हैं।

एससीएल पेंशन अदालत-2019 के उपर्युक्त पते पर डाक द्वारा लिफाफे में श्री एन.पी.सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पीएण्डजीए को ई-मेल npsingh@scl.gov.in पर भेज सकते हैं। 3.9.2019 तक प्राप्त शिकायत का एससीएल पेंशन अदालत में विचार किया जाएगा। शिकायत के लिए प्रपत्र और अन्य सूचनाएं कर्मचारी कल्याण संपर्क के अधीन हमारी वेबसाइट www.scl.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

अध्यक्ष
एससीएल पेंशन अदालत

Appeared in 'The Indian Express' on 7.6.2019



Semi-Conductor Laboratory

Department of Space, Government of India
Sector 72, SAS Nagar – 160 071
(Near Chandigarh) Punjab, India.

PHONE : 0172-2296107,2296000 Fax : 0172-2236401

Pension Adalat 2019

For the attention of SCL pensioners / Family Pensioners
Under CCS (Pension) Rules, 1972

A “PENSION ADALAT-2019” is scheduled to be held at **11.00 hrs** on **4.9.2019 (Wednesday)** at **SCL, Sector 72, SAS Nagar** to consider and redress grievances of SCL pensioners and family pensioners. Grievances pertaining to Pensionary benefits would be considered in the Adalat. Grievances already settled / replied will not be considered.

SCL pensioners and family pensioners may send their grievances if any, in the prescribed format to:

Shri N.P.Singh, Sr. Admn. Officer, P&GA on e-mail at npsingh@scl.gov.in or by post at the above address in an envelope superscribed “**SCL PENSION ADALAT 2019**”. Grievances received in SCL by 3.9.2019 shall be considered. The format for filing of grievances and other information may be downloaded from our website www.scl.gov.in under “Employee Welfare” link.

Chairman
SCL PENSION ADALAT